फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	25/7/2024	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते आदेश दिनांक 14/8/2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर प्र. जयपुर	
	14/8/2024	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र - अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर प्र. जयपुर	

Scanned with ACE Scanner

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : मिथलेश मीणा
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित प्रा. संख्या – 33/2019 प्रार्थना पत्र प्रस्तुति दिनांक – 05.04.2019

1. दीपचंद पुत्र स्व. श्री कपूरचंद।
2. प्रकाशचंद पुत्र स्व. श्री कपूरचंद।
3. संजय पुत्र स्व. श्री छोटीलाल।
4. विमल पुत्र स्व. श्री छोटीलाल।
5. ताराचंद पुत्र स्व. श्री छोटीलाल।
6. कैलाशचंद पुत्र स्व. श्री छोटीलाल (मृतक) जरिये वारिसान् :–
   6/1 श्रीमती निर्मला जैन पत्नी स्व. श्री कैलाशचंद।
   6/2 कपिल पुत्र स्व. श्री कैलाशचंद।
   6/3 अंकित पुत्र स्व. श्री कैलाशचंद।
7. भंवरी देवी पत्नी स्व. चौथमल।
8. महावीर प्रसाद पुत्र स्व. श्री चौथमल।
9. महेन्द्र पुत्र स्व. श्री चौथमल।
10. महेश पुत्र स्व. श्री चौथमल।
11. मनोज पुत्र स्व. श्री चौथमल।

समस्त जाति जैन, निवासी ग्राम राजावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..................प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार जी आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
3. जोन उपायुक्त महोदय सं. – 12 जयपुर विकास प्राधिकरण भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
4. ग्राम पंचायत राजावास जरिये सरपंच, राजावास तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.....................अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with ACE Scanner

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :–

1. श्री एस. एस. सुण्डा – अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 14.08.2024

निर्णय

हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि ग्राम राजावास, पटवार हल्का खोराबीसल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हरमाडा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नंबर 373 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 424 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.13 हैक्टेयर स्थित है। उपरोक्त आराजी के खसरा नंबर 294/1 व 294/2 थे। यह कृषि भूमि वादीगण के बुर्जुगान् कपूरचंद, छोटीलाल, चौथमल पुत्रान् लादूराम के कब्जे काश्त व खातेदारी में चली आ रही है। वादीगण के उपरोक्त बुर्जुगान इस कृषि भूमि में प्रारंभ में आम के पेड लगा रखे थे। इसलिए यह भूमि आम की बगीची के नाम से स्थानीय तौर अलमसूर रही है। ग्राम राजावास तहसील आमेर का बंदोबस्त कार्य प्रारंभ हुआ तब इस भूमि को वादीगण के बुर्जुगान के नाम नहीं लगाई गई थी और यह स्थिति जब वादीगण के बुर्जुगान को पता चली तो उन्होंने तत्कालीन सहायक बंदोबस्त अधिकारी जी के अपनी आरे से एक आवेदन बाबत् दुरूस्ती इंद्राज व जारी करने पर्चा खसरा नंबर 294/1 की भूमि रकबा 10 बिस्वा हेतु लगाया तत्कालीन ग्राम पंचायत नींदड के खिलाफ दिनांक 08.12.1958 को प्रस्तुत की जिस पर दिनांक 08.12.1958 को ही श्रीमान् सहायक भू–प्रबंध अधिकारी जी आमेर ने इंद्राज रिपोर्ट कार्यालय से मांगी और ग्राम पंचायत को तामील नोटिस हेतु आदेश जारी किये। उपरोक्त प्रकार से ग्राम पंचायत नींदड को नोटिस जारी होने एवं रिपोर्ट पटवारी इंतजार में पेशी दिनांक 13.01.1958 दी गई और दिनांक 13.01.1958 को ग्राम पंचायत की ओर सरपंच रामपाल खण्डेवाल उपस्थित आये तथा मौका देखने तथा जवाब हेतु तारीख दिनांक 05.02.1959 दी गई तथा दिनांक 05.02.1959 को भी मौका देखने एवं जवाब ग्राम पंचायत हेतु दिनांक 20.02.1959 को श्रीमान् सरपंच जी हाजिर नहीं हुए। इस प्रकार पेशी दिनांक 23.04.1959 को

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with ACE Scanner

ड़ी की प्रतियां वाद के साथ संलग्न है। हाल ही उनके साथ जे.डी.ए. के कर्मी आये और दिनांक कब्जे को 10 दिन में हटाने की हिदायत देकर 10 दिन के अंदर नहीं हटाया तो वह जबरन बेदखल कर मौके पर कब्जा ले लेंगे।

विद्वान वादी/प्रार्थी अधिवक्ता की बहस से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र ने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया किया गया। प्रार्थी का मुख्य अभिवचन रहा है यक भू– प्रबंध अधिकारी, आमेर ने अपने आदेश सरा नंबर 294/3 रकबा 10 बिस्वा का पर्चा पुत्रान् लादूराम के नाम जारी करने के आदेश स आदेश में रकबा 10 बिस्वा भूमि खसरा नंबर नंबर 294/3 नवीन कायम किया और उसकी दर्ज करने का आदेश जारी किया। जिसके धक विभाग का प्रार्थी कपूरचंद, छोटेलाल व गया। उपरोक्त प्रकार से वादीगणों के पूर्वज जी भूमि गत खसरा नंबर 294/3 के काबिज और भूमि गत 80 वर्षों से वादीगणों के कब्जे अंकन राजस्व रिकॉर्ड में नहीं हुआ है तथा दखल करना चाहता है अतः अप्रार्थीगण को या जावे। परन्तु प्रार्थी ने ऐसो कोई दस्तावेज र हो कि प्रार्थी के बुजुर्गो का सेटेलमेण्ट से ड़ी हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से ध अधिकारी, आमेर की कार्यवाही से पहले भी । तथा न्यायिक दृष्टांत 2020 (1) RRT 37 में *department cannot change the entry even he parties.* तथा 2020(1)RRT 24 में अंकन है *to change the existing entry without any*

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with ACE Scanner

मौका रिपोर्ट व नक्शा तैयार होकर के शामिल मिसल किया गया और पत्रावली वास्ते दिनांक चलती रही तथा इसी प्रकार दिनांक 13.07.1959 को ग्राम पंचायत को अंतिम अवसर देने के लिए दिया गया। उपरोक्त प्रकार से दिनांक 05.08.1959 को भी बावजूद इत्तला व रिपोर्ट आ जाने के भी पश्चात् भी ग्राम पंचायत की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ जिस पर श्रीमान् सह भू–प्रबंधक अधिकारी जी आमेर ने उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में ली जाकर बयान्, गवाहान्, भूरालाल, छोटेलाल व लल्लू पुत्र डूंगा लिये तथा पत्रावली बाबत् दिनांक 30.08.1959 को रखी गई और दिनांक 30.08.1959 को श्रीमान् सहायक भू– प्रबंध अधिकारी जी आमेर ने अपने आदेश दिनांक 30.08.1959 द्वारा खसरा नंबर 294/3 रकबा 10 बिस्वा का पर्चा कपूरचंद, छोटेलाल, चौथमल पुत्रान् लादूराम के नाम जारी करने के आदेश जारी कर दिये तथा अपने इस आदेश में रकबा 10 बिस्वा भूमि खसरा नंबर 294/1 में से कम कर खसरा नंबर 294/3 नवीन कायम किया और उसकी किस्म बोग बारानी अव्वल दर्ज करने का आदेश जारी किया। जिसके अनुसरण में पर्चा भी भू–प्रबंधक विभाग का प्रार्थी कपूरचंद, छोटेलाल व चौथमल जी के नाम जारी हो गया। उपरोक्त प्रकार से वादीगणों के पूर्वज कपूरचंद, छोटेलाल व चौथमल जी भूमि गत खसरा नंबर 294/3 के काबिज खातेदार व काश्तकार हो गये और भूमि गत 80 वर्षों से वादीगणों के कब्जे में चली आ रही है। इस प्रकार से खातेदारी का पर्चा बंदोबस्त विभाग द्वारा जारी करने के बावजूद भी उसको अमल कर आगे के राजस्व रिकार्ड में बंदोबस्त कर्मचारी के द्वारा नहीं किया गया एवं न ही कोई अपील आदि तत्कालीन ग्राम पंचायत नींदड ने श्रीमान् सहायक भू–प्रबंध अधिकारीजी आमेर के आदेश दिनांक 30.08.1959 को पेश की। जबकि वादीगण उपरोक्त भूमि गत खसरा नंबर 294/3 जिसके की हाल खसरा नंबर 373 रकबा 0.08 हैक्टेयर व खसरा नंबर 424 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.13 हैक्टेयर के वादीगण वंशानुगत काबिज खातेदार काश्तकार है। चूंकि भूमि प्रतिवादीगणों के नाम रहने से वादीगण के अधिकार बेजारूप से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह वाद बाबत् दुरूस्ती इंद्राज व घोषणा का करना लाजमी हो गया है। इस प्रकार से कानूनी आवश्यकता को देखते हुए प्रतिवादीगणों को कानूनी रजिस्टर्ड इस बात के लिए भी कर दिया गया है।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

जिसकी प्रति व रजिस्टर्ड ए.डी की प्रतियां वाद के साथ संलग्न है। हाल ही में कुछ राजस्व कर्मचारी तथा उनके साथ जे.डी.ए. के कर्मी आये और दिनांक 25.03.2019 को प्रार्थीगणों के कब्जे को 10 दिन में हटाने की हिदायत देकर गये है कि यदि हमने कब्जा 10 दिन के अंदर नहीं हटाया तो वह जबरन पुलिस के द्वारा वादीगणों को बेदखल कर मौके पर कब्जा ले लेंगे।

विद्वान वादी/प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का मुख्य अभिवचन रहा है कि दिनांक 30.08.1959 को सहायक भू– प्रबंध अधिकारी, आमेर ने अपने आदेश दिनांक 30.08.1959 द्वारा खसरा नंबर 294/3 रकबा 10 बिस्वा का पर्चा कपूरचंद, छोटेलाल, चौथमल पुत्रान् लादूराम के नाम जारी करने के आदेश जारी कर दिये तथा अपने इस आदेश में रकबा 10 बिस्वा भूमि खसरा नंबर 294/1 में से कम कर खसरा नंबर 294/3 नवीन कायम किया और उसकी किस्म बोग बारानी अव्वल दर्ज करने का आदेश जारी किया। जिसके अनुसरण में पर्चा भी भू–प्रबंधक विभाग का प्रार्थी कपूरचंद, छोटेलाल व चौथमल जी के नाम जारी हो गया। उपरोक्त प्रकार से वादीगणों के पूर्वज कपूरचंद, छोटेलाल व चौथमल जी भूमि गत खसरा नंबर 294/3 के काबिज खातेदार व काश्तकार हो गये और भूमि गत 80 वर्षों से वादीगणों के कब्जे में चली आ रही है। जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में नहीं हुआ है तथा वर्तमान में जेडिए उनको बेदखल करना चाहता है अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। परन्तु प्रार्थी ने ऐसो कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे जाहिर हो कि प्रार्थी के बुजुर्गो का सेटेलमेण्ट से पहले या बाद में खातेदारी रही हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से स्पस्ट है कि सहायक भू– प्रबंध अधिकारी, आमेर की कार्यवाही से पहले भी आराजी भूमि चारागाह रही है। तथा न्यायिक दृष्टांत 2020 (1) RRT 37 में पारित किया है कि *Settlement department cannot change the entry even on the basis of consent of the parties.* तथा 2020(1)RRT 24 में अंकन है कि *Settlement is not entitled to change the existing entry without any*

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with ACE Scanner

order of the court. अतः सहायक भू- प्रबंध अधिकारी, आमेर की कार्यवाही को सही नहीं कहा जा सकता। फलस्वरूप दौराने बहस उल्लेखित किये गये तथ्यों व जवाब प्रार्थना पत्र, दस्तावेज में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं होता है, ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तथ्य प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। जहाँ तीनों बिन्दुओं में से एक भी बिंदू का अभाव हो, वहाँ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है। यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभयपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है। प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया, तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Scanned with ACE Scanner